

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 63 सन 2022

अनवान :-

1. साहबराम पुत्र रामसिंह जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 27/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 301/290 की कुल 5.5660 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय निवासी अबूशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा दर्ज हो गयी जबकि प्रार्थीया की सही सकुनत निवासी खुईया तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की सकुनत गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत निवासी खुईया तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थीया की सकुनत अबूशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा के स्थान पर की सकुनत निवासी खुईया तहसील नोहर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 301/290 की कुल 5.5660 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय निवासी अबूशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया की सही सकुनत निवासी खुईया तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की सकुनत गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अधिकारी
नोहर



प्रार्थीया की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत निवासी खूर्ईया तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तीर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के नाम रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 301/290 की कुल 5.5660हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की सकुनत अबूशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही सकुनत खूर्ईया तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत दर्ज है प्रार्थी ने अपनी सकुनत के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /तहसीलदार का ऐतराज नही होने पर प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 301/290 की कुल 5.5660हैक् भूमि में प्रार्थी की सकुनत अबुशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा के स्थान पर निवासी खूर्ईया तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/252) दिनांक :- 27/07/22

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 63/2022 अनवानी साहबराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. साहबराम पुत्र रामसिंह जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम


प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 63/2022 अनवानी साहबराम बनाम सरकार में दिनांक 27/7/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 301/290 की कुल 5.5660 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी की सकुनत अबुशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा के स्थान पर निवासी खूईया तहसील नोहर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर